**27. एक स्कूल या कालेज को स्थापित करने एवम् चलाने के लिए न्यास विलेख -**

यह विलेख एक भाग के श्री ................. ..................... पुत्र श्री ....... ..................... उम्र लगभग

..................... वर्ष निवासी..................... (इसमें इसके पश्चात् न्यास के संस्थापक" कहे गये) तथा दूसरे भाग के

1. श्री .................... ..................... पुत्र .................... ..................... उम्र लगभग ..................... वर्ष निवासी.................................
2. श्री ..................... ..................... पुत्र श्री .................... ..................... उम्र लगभग .................... वर्ष निवासी ..................... और
3. श्री ................. ..................... पुत्र श्री ...... ..................... उम्र लगभग .................... वर्ष निवासी ..................... (इसमें इसके पश्चात न्यासधारी कहे गये)

 के बीच

तारीख ..................... .......... को किया गया –

; यतः

1. संस्थापक इसके साथ उपाबद्ध की गयी अनुसूची में पूर्णतया वर्णित सम्पत्तियों का पूर्ण स्वामी है;
2. न्यास का संस्थापक भारत के शैक्षणिक एवम् सांस्कृतिक काम-काज में देश के नगर एवम उसके बाहरी स्थानों के बालिकाओं की शिक्षा के लिए ..................... .......... के नगर में स्कूल / कालेज .................. ..................... .......... नाम के अधीन एक स्कूल / कालेज को संस्थापित करने के प्रयोजनार्थ कथित सम्पत्ति का विन्यास करने का इच्छुक है;
3. **न्यास धारियों ने सृजित की गयी इसमें न्यास को चलाने का करार किया है। अब यह निम्नलिखित रूप में एतद्द्वारा करार किया जाता है;**
4. न्यास के उद्देश्य है:
	* 1. आर्य विधि के कला, विज्ञान, एवम् हिन्दू धर्म एवम् सांस्कृतिक में बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक स्कूल / कालेज को स्थापित करना, चलाना एवम् जारी रखना और उनके चरित्र का विकास करने के साथ भौतिक सांस्कृतिक में उन्हें शिक्षित करना,
		2. ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक बालिका बोर्डिंग हाउस को स्थापित करना एवम् कायम रखना जो कथित स्कूल / कालेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर से आते हैं और ऐसे रूप में शिक्षा प्राप्त करते हैं।
5. न्यास को इसको समर्पित की गयी सम्पत्तियों का पूर्ण स्वामी होने वाला न्यास का संस्थापक इसके साथ उपाबद्ध की गयी अनुसूची में पूर्णतया वर्णित संपूर्ण सम्पत्ति के साथ-साथ इसमें अन्तर्विष्ट किये गये उपबंधों एवम् शक्तियों के विषय के साथ, उनके अधीन तथा न्यास पर उसको धारण के लिए न्यासधारियों की अनुसूची में पूर्णतया वर्णित स्टेट बैंक आफ इण्डिया में सरकारी वचन पत्र तथा नियत निक्षेप .................. रुपये की नकद रकम से परिपूर्ण चल आस्तियाँ को हस्तांतरित करता हूँ।
	1. न्यासधारी स्कूल / कालेज के लिए उपयुक्त एक भवन संयंत्र को प्रस्तुत करता है और विहित प्राधिकारी से भवन संयंत्र की मंजूरी पर स्कूल / कालेज और इसकी बोर्डिंग हाऊस के लिए ऐसे भवन का परिनिर्धारण करेगा। न्यासधारी के पास कथित भूमि पर किसी भी पुराने भवन का भंजन करने की शक्ति होगी यदि वे उपर्युक्त प्रयोजनार्थ आवश्यक समझते हो।
	2. न्यासधारी प्रयोजनार्थ शिक्षा देने, पद को बनाये रखने, परिसरों को स्वच्छ रखने तथा अन्य कार्यों के लिए ऐसे शिक्षण लिपिकीय एवम चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी वृन्द को नियोजित एवम् नियुक्त करेगें। ऐसे कर्मचारी वृन्द को ऐसे वेतनों को संदाय किया जायेगा जिन्हें न्यासधारी उस बोर्ड आफ सेकेण्डरी इजूकेशन या विश्वविद्यालय द्वारा विहित नियम के अनुसार विनिश्चय कर सकेगे जिसको स्कूल/कालेज को सम्बद्ध किया जाना है।
	3. न्यासधारी न्यास निधि एवम सम्पत्तियों की आय में से न्यास के प्रयोजनार्थ उपगत किये गये खर्चे को चुकता कर देंगे। यदि किसी प्रकार समर्पित निधि एवम सम्पत्तियों से सामान्य अनुक्रम में होने वाली आय न्यास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाया जाता है।
	4. न्यासधारी स्कूल / कालेज की शिक्षण सभा के साधारण निकाय की अनुज्ञा के बिना आवश्यक आवश्यकताओं के लिए भी न्यास सम्पत्तियों का अन्य संक्रामण करने या उन्हें विल्लगम करने की कोई शक्ति नहीं होगी जिसके सदस्यगण स्कूल / कालेज के सभी अध्यापकगण और भूतपूर्व स्नातक होंगे जिन्होंने ऐसी सभा की सदस्यता के लिए नियमित तौर वार्षिक अभिदाय में योगदान देंगे।
	5. न्यासधारी स्टेट बैंक आफ इण्डिया या अन्य अनुसूचित एवम् राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी प्रतिभूतियों या नियत की गयी निक्षेपों में दानी द्वारा न्यास की सम्पत्ति के आय से या अन्यथा प्रोद्भूत हुई उनके हाथों में न्यास की अधिशेष निधि निहित कर सकेगा जिन्हें उसके लिए सुविधाजनक पाया जाय।
6. न्यास का संस्थापक न्यासधारियों में से एक होगा और उसके जीवन के पश्चात् उसके कुटुम्ब या वंशजों का सर्वश्रेष्ठ पुरुष सदस्य एक सहन्यासधारी होगा और उसके कुटुम्ब या वंशजों में एक पुरुष सदस्य के अनुपस्थित में, कोई भी शिक्षित स्त्री सदस्य एक सह-न्यासी होगा।
7. यदि एक सह-न्यासी दिवालिया हो जाता है तो ऐसे न्यास-धारी का पद उसके (ऋण की) शोधन क्षमता प्राप्त करने तक निलम्बित कर दिया जायेगा और एक न्यासधारी के मामले में नैतिक अधमता का एक अपराध करने वाले न्यासधारी के मामले में विधि की एक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है एवम् दण्डित कर दिया जाता है तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने पद रिक्त कर दिया है और शेष रहने वाले न्यासधारी एक दूसरे न्यास-धारी की नियुक्ति द्वारा उसके पद (सीट) को भरेगा। अतएव, न्यास धारियों में से किसी के द्वारा पद को स्वेच्छया रिक्त करने या कतिपय शारीरिक दुर्बलता के कारण निर्योग्य हो जाने पर मामले में मामला होगा।
8. न्यास के प्रयोजनों को पूरा करने के दौरान यदि न्यासधारियों के बीच राय में एक मतभेद हो तो बहमत का विनिश्चय उस पर अभिभावी होगा जो सभी निकायों द्वारा चलाया जायेगा।
9. यदि न्यास इसके उद्देश्य के अभाव के कारण असफल हो जाता है या यह अपरिवर्जनीय कारणों वश कथित प्रयोजनों का पालन करना असम्भव हो जाता है तो न्यासधारी कतिपय अन्य समान प्रयोजन के लिए न्यास विधि का उपयोजन करने हेतु न्यायालय में आवेदन करेगा न्यास निधि किसी भी प्रकार संस्थापक या उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिवर्तित नहीं होगी क्योंकि यह सम्यक रूपेण रजिस्ट्रीकृत किया जाने वाला एक लोक न्यास है।
10. न्यास सम्पत्ति या निधि का किसी भी का उपयोग न्यास के उन सभी से भिन्न प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।
11. न्यास सम्पत्ति का मूल्य .................. ..................... .......... रुपये है और उचित स्टाम्प शुल्क का संदाय इस न्यास विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए उस पर किया जाता है।

**जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने उपर्युक्त दिन माह तारीख को इस न्यास विलेख पर अपना हस्ताक्षर किये है।**

**तारीख एवम् स्थान :**

**1. ..................... .......... हस्ताक्षर किया..................... .......... संस्थापक**

**2. ..................... .......... हस्ताक्षर किया . ..................... .......... न्यासी (1)**

**हस्ताक्षर किया . ..................... .......... न्यासी (2)**

**हस्ताक्षर किया . ..................... .......... न्यासी (3)**

**न्यास सम्पत्ति एवम् निधियों की अनुसूची**